[illegible] वकील [illegible] ने [illegible] न्यायालय [illegible] ध्यान आकर्षित कराया है। अतः वादी वकील को ध्यान आकर्षित नहीं उपलब्ध कराने की हिदायत दी गयी। पत्रावली दिनांक 21/5/2024 को पेश हो।

पीठासीन अधिकारी महो. राजकीय दौरे
कानून व्यवस्था [illegible] राज कार्य
अस्त होने के कारण दिनांक 21/5/24
के राजस्व मुकदमात में अगली तारीख
पेशी दिनांक 10/6/24
नियत की जाती है।

10/6/24 पत्रावली आज पेश हुई। बार-बार आवाज लगाने के बावजूद वादीगण अथवा वकील वादीगण अनुपस्थित। अतः पत्रावली अंतर्गत आदेश 17 नियम 2 सी.पी.सी. निकाली है। पत्रावली लंबित होकर नम्बर से अग्रिम होने एवं बाद वकील वादिनि दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.06.11 14:37:19 IST
Reason: SelfAttested